भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/26/2018/एफ.सी./260   दिनॉक: 10.07.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/ROAD/25364/2017**</u>

विषय: जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद–भोगॉव मार्ग (एस0एच0 84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 कि0मी0 कुल 25.66 से किमी0 लम्बाई में 4 लेन मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 बाधक वृक्षों एवं पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ–: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 04.07.2018 की कार्रवाई (REC Agenda item 30.1 -U.P.)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

उक्त प्रकरण को दिनांक– 04.07.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक मे सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक– 04.07.2018 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 30.1 U.P.) संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दी गयी अवलोकन टिप्पणी एवं निर्णय के आलोक में अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। उक्त अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर वन प्रभाग, बहराइच, उ0 प्र0।
5. परियोजना निदेशक,राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,पी0आई0यू0 अलीगढ़ खण्ड उ0प्र0।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली

10.7.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 119 /मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 13, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा को इस कार्यालय के पत्रांक–37/मैनपुरी/25364/2017, दिनांक 05.07.2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शीघ्रतिशीघ इस कार्यालय को तीन प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को इस कार्यालय के पत्रांक–37/मैनपुरी/25364/2017, दि0 05.07.2018 के कम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शीघ्रतिशीघ्र अपने वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र) 13
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तत्काल
कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा
पत्रांक 359/14-1 आगरा, दिनांक 19-07-2018

छायाप्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक, आगरा

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा